रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072026-274805
CG-DL-E-25072026-274805

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3897] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948
No. 3897] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4067(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-365BB के किमी 49.860 से 51.540 (जीलुगुमिलि-पट्टिसम खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेनुए डिविशनल ऑफिसर , कोव्वूर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-365BB के किमी 49.860 से 51.540 (जीलुगुमिलि-पट्टिसम खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: ईस्ट गोदावरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोपालापुरम					
गांव का नाम: गंगोलू					
1	126	सरकारी	एग्रीकल्च (रोड)	1.116 (एकर)	0.451639
गांव का नाम: दोनदापुडी					
2	186	सामान्य	जीपी (ग्रामकंतम)	0.35 (एकर)	0.1416431
3	193	निजी	एग्रीकल्चर (जीडी)	0.35 (एकर)	0.1416431
4	194	निजी	एग्रीकल्चर (जीडी)	0.2 (एकर)	0.0809389
5	195	सरकारी	जीपी (रोड (जीपी))	0.964 (एकर)	0.3901255
6	198	सरकारी	जीपी (रोड)	0.71 (एकर)	0.2873331
7	199	सरकारी	जीपी (रोड (जीपी))	0.68 (एकर)	0.2751922
8	202	सरकारी	जीपी (आर्&बी रोड (जीपी))	0.87 (एकर)	0.3520842
9	203-2	निजी	एग्रीकल्चर (जीडी)	0.2 (एकर)	0.0809389
10	204	निजी	एग्रीकल्चर (जीडी)	0.2 (एकर)	0.0809389
11	229	निजी	एग्रीकल्चर (जीडी)	0.15 (एकर)	0.0607042
12	229-2B	निजी	एग्रीकल्चर (जीडी)	0.01 (एकर)	0.0040469
13	230	सरकारी	जीपी (रोड (जीपी))	1.323 (एकर)	0.5354108
14	231	निजी	एग्रीकल्चर (जीडी)	1.048 (एकर)	0.4241198
15	232	सरकारी	जीपी (आर्&बी रोड (जीपी))	0.612 (एकर)	0.247673
16	256	सरकारी	जीपी (रोड (जीपी))	0.802 (एकर)	0.324565

17	257	सरकारी	जीपी (रोड)	1.04 (एकर)	0.4208822
18	258	सरकारी	जीपी (रोड)	0.8 (एकर)	0.3237556
				Total	**4.6236344**

[फा. सं. DTCL/53/2018-SUPDT-G-COLLECTORATE/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4067(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH-365BB in the stretch of land from Km 49.860 to 51.540 (Jeelugumilli - Pattisam section.) in the district of EAST GODAVARI in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Kovvur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 49.860 to 51.540 of NH 365BB (Jeelugumilli - Pattisam section.) in the district of EAST GODAVARI in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			**District: EAST GODAVARI**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Gopalapuram					
Village: Gangolu					
1	126	Government	Agriculture (ROAD)	1.116 (Acre)	0.451639
Village: Dondapudi					
2	186	Common	GP (Gramakantam)	0.35 (Acre)	0.1416431
3	193	Private	Agriculture (GD)	0.35 (Acre)	0.1416431
4	194	Private	Agriculture (GD)	0.2 (Acre)	0.0809389
5	195	Government	GP (ROAD)	0.964 (Acre)	0.3901255

6	198	Government	GP (ROAD)	0.71 (Acre)	0.2873331
7	199	Government	GP (ROAD)	0.68 (Acre)	0.2751922
8	202	Government	GP (ROAD)	0.87 (Acre)	0.3520842
9	203-2	Private	Agriculture (GD)	0.2 (Acre)	0.0809389
10	204	Private	Agriculture (GD)	0.2 (Acre)	0.0809389
11	229	Private	Agriculture (GD)	0.15 (Acre)	0.0607042
12	229-2B	Private	Agriculture (GD)	0.01 (Acre)	0.0040469
13	230	Government	GP (ROAD)	1.323 (Acre)	0.5354108
14	231	Private	Agriculture (GD)	1.048 (Acre)	0.4241198
15	232	Government	GP (ROAD)	0.612 (Acre)	0.247673
16	256	Government	GP (ROAD)	0.802 (Acre)	0.324565
17	257	Government	GP (ROAD)	1.04 (Acre)	0.4208822
18	258	Government	GP (ROAD)	0.8 (Acre)	0.3237556
				Total	**4.6236344**

[F. No. DTCL/53/2018-SUPDT-G-COLLECTORATE/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.25 15:15:27 +05'30'